



# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./विविध/3554/11-12/150

दिनांक:- 18/10/11

जिला कलेक्टर  
समस्त

विषय:-निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 धारा 27 अन्तर्गत शिक्षकों को गैर-शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (धारा 27) में यह प्रावधान है कि "किसी भी शिक्षक को दस वषीर्य जनसंख्या जनगणना विधीषिका राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जायेगा।"

निदेशालय को विभिन्न स्तरों से निरन्तर यह परिवेदनाएं प्राप्त होती हैं कि शिक्षकों को उक्त वर्णित कार्यों से इतर गैर-शैक्षिक कार्यों में लगाया जाता है जिससे शाला में शिक्षण कार्य बाधित होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों को गैर-शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाये। यदि आपके एवं आपके अधिनस्थ कार्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु शिक्षक को लगाया हुआ है तो कृपया उसे अविलम्ब संबंधित शाला हेतु कार्यमुक्त करवाने का श्रम करें।

सादर।

भवदीय

६०-  
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें कि आर.टी.ई. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त उनके जिले के किसी भी विद्यालय के किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्य में किसी अन्य कार्यालय में नहीं लगाया जावे।
2. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की सख्त सत्त मोनेटरिंग करेंगे।

3

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई. / विविध / 3554 / 12-13 / 51

दिनांक:- 1/6/12

प्रेषक :

हर सहाय मीणा IAS

निदेशक

प्रेषिती :

उपनिदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा

जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर /

चुरू / भरतपुर / उदयपुर

**विषय:-** अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने के संबंध में।

**प्रसंग:-** शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का पत्रांक प.6(5)प्राशि/2011/जयपुर दिनांक 09.05.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में अध्यापक को बी.एल.ओ. के रूप में तभी नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य विभाग का कर्मचारी उपलब्ध न हो। बी.एल.ओ. के कार्य एवं दायित्व के विषय में भी यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अध्यापकों द्वारा बी.एल.ओ. का कार्य सामान्य अध्यापन कार्य को बाधित किये बिना अतिरिक्त कार्य के रूप में निष्पादित करना है। अध्यापक सामान्य अध्यापन समय के बाद अथवा अवकाश के दिनों में बी.एल.ओ. के कार्य को निष्पादित करेगा ताकि अध्यापन कार्य पर विपरित प्रभाव नहीं पड़े इसलिए मानदेय का भुगतान भी किया जाता है।

अतः उक्त आदेशों की अनुपालना अपने मण्डल के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक  
31/5/12

**प्रतिलिपि:-** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प. 6(5)प्राशि/2011/जयपुर दिनांक 09.05.12 के क्रम में।
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा .....
3. अनुभाग अधिकारी पंचायत राज अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. निजी सचिव निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।

उपनिदेशक(आर.टी.ई.)  
31/5/12

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/विधि/ए-1/जय/6538/बी/2012

दिनांक:-14-6-12

प्रेषक:-

हर सहाय भीणा I.A.S

निदेशक

प्रेषिती:-

समस्त

उप निदेशक /

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा

.....।  
जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा(विधि)

जयपुर / जोधपुर।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं  
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:-याचिका संख्या 7819/12 श्री सुरेशचन्द्र भीणा बनाम  
सरकार के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा  
पारित निर्णय दिनांक 18.05.12 की पालना बाबत।

-00-

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक-2009 की धारा 27 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि "किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मण्डलों, विधान सभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं दिया जावेगा"। माननीय मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक एफ-21(10)शिक्षा/ग्रुप-1/प्राशि/09 दिनांक 20.04.12 के द्वारा भी अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः विषयान्तर्गत प्रकरण में पारित निर्णय के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जावे तथा इस बाबत पालना रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

Sd

निदेशक

प्रतिलिपि:-

- 1- सहायक निदेशक शिक्षक सस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा को भय निर्णय प्रति के वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।
- 2- अनुभाग अधिकारी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुभाग कार्यालय हाजा को भय निर्णय प्रति के वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

निदेशक

13.6.12

अति-आवश्यक

**कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर**

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./यास 7819/6

दिनांक:-21/6/12

प्रेषक:

हर सहाय मीणा IAS  
निदेशक


प्रेषिती:

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा**विषय:- शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाये जाने बाबत।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा सहित कार्यों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मण्डलों, विधानसभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं दिया जावेगा। मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र संख्या एफ. 21(19)शिक्षा/ग्रुप-1/प्राशि/09 दिनांक 20.04.12 के द्वारा भी शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।


अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जावे तथा इस बाबत पालना रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवावे कि जिले में कोई भी शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगा हुआ है। ताकि माननीय उच्च न्यायालय को पालना रिपोर्ट से अवगत करवाया जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

  
निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा .....
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग/शिक्षक संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा।

  
निदेशक  
21.6.12